Email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 902 / 12–1 , मुनिकीरेती, दिनांक– 21 / 11 / 2019

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी के टिहरी जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।(**FP/UK/ROAD/23941/2017**)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून का पत्र संख्या–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0 / 1498, दिनांक 09.10.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है, उक्त पत्र में उल्लेखित कमियों के निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार आख्या मय संलग्नकों के प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक–1157 / पी0–सिं0ख0–2 / **Forest, दिनांक–08.11.2019 (जो आपको सम्बोधित एवं प्र0व0अ0, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को पृष्ठांकित किया गया है)** द्वारा आपको उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित कमियों का निराकरण आपको निम्नवत् प्रेषित है :–

क0 सं0	कमियां	निराकरण
1.	State Government may submit the plantation scheme of 4000 trees in lieu of 04 Ha. Out of CA area is falling in MDF. Location and map of the area may also be submitted in original.	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर–मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का दिनांक–21.10.2019 को पुनः **प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी** द्वारा निरीक्षण करवाया गया, जिससे ज्ञात हुआ है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.165 हे0 भूमि का हरियाली घनत्व 0.40 से कम है, तथा 1000 प्रति हे0 पौध रोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया है।
2.	State Government may submit the original copy of the CA scheme of Rs. 11,60,640.00	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी प्रति भाग–01 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या–37 में भी अपलोड की गयी है। अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु Rs 11,58,962.00 का ही प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है।
3.	प्रस्ताव में यह पाया गया कि घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को प्रस्तावित मार्ग की KML फाईल पर अंकित किया गया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का End Point घने वन क्षेत्र में दर्शाया गया है, जो मान्य नही है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल भाग–01 के पैरा–C-(b) में अपलोड कर दी गयी है, जिसकी सी0डी0 आपको प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।

भवदीय
Joshi
(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :– 902 / , तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके पत्रांक–1371 / 17–8, दि0–19.11.2019 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

Joshi
(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

o/c